राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– मंत्रिमण्डल के विचारार्थ भेजे जाने वाले मंत्रिमण्डल ज्ञापन/पावर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन (PPT) के संबंध में।

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.08.2019 द्वारा मंत्रिमण्डल की बैठक सामान्यतः बुधवार को आयोजित किये जाने के निर्देशों के क्रम में लेख है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मंत्रिमण्डल ज्ञापन/पावर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन (PPT) मंत्रिमण्डल बैठक से 02 दिवस पूर्व मंत्रिमण्डल सचिवालय को आवश्यक रूप से भिजवाने के साथ ही निम्नांकित बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करावें:–

1. मंत्रिमण्डल ज्ञापन हिन्दी भाषा में फोन्ट साइज–16 तथा ए–4 साइज पेपर पर सुपाठ्य एवं स्वच्छ होना चाहिए।
2. मंत्रिमण्डल ज्ञापन को राजकाज पोर्टल पर बुलेट पॉइन्ट (अंग्रेजी) तथा प्रेस नोट (हिन्दी) के साथ अपलोड कराया जावे।
3. यदि आवश्यक हो तो मंत्रिमण्डल/मंत्रिपरिषद में रखे जाने वाले ज्ञापन से संबंधित PPT सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. PPT Slides की संख्या अधिकतम 5 रखी जावे।
5. PPT ज्ञापन में अंकित तथ्यों के अनुरूप ही सारांश के रूप में होना सुनिश्चित किया जावे।

—Sd/-
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ सलाहकार

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभाग।

अशा0 टीप क्रमांकः प. 2(1)मं.मं./2019
जयपुर, दिनांकः 24/8/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

24/8/2021
वरिष्ठ सलाहकार